संख्या - 007/वी.जी.एल/010
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 29 अक्तूबर, 2009

परिपत्र संख्या 30/10/09

विषय: अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (च) तथा (ज) द्वारा आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में सलाह देता है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले का अन्वेषण करने के बाद, अभियोजन की स्वीकृति की सिफारिश की है ।

2. कुछ अवसरों पर, जहां आयोग ने, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों से सहमत होते हुए किसी लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों से असहमत होते हुए आयोग से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहा ।

3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 06.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं0 399/33/2006-एवीडी-III द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त ऐसे पुनर्विचार प्रस्तावों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विशेषज्ञों की एक समिति (सिविल सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों से लिए विशेषज्ञों के साथ) का गठन किया जाना है ।

4. तदनुसार, दिनांक 13 जून 2007 के अपने परिपत्र सं0 17/5/07 द्वारा आयोग ने पुनर्विचार प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए, जहां आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संदिग्ध लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी है, प्रारंभ में छ: प्रसिद्ध व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल का गठन किया था । विशेषज्ञों की उक्त समिति का कार्यकाल जो दो वर्षो के लिए था पिछली बार दिनांक 28 अगस्त, 2009 के आयोग के परिपत्र सं0 25/8/09 द्वारा 31.10.2009 तक बढ़ाया गया था । आयोग ने निम्नलिखित व्यक्तियों को लेते हुए दिनांक 01.11.2009 से विशेषज्ञों के पैनल का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:-

1. श्री एम.एम.के. सरदाना, भा.प्र.से.(सेवानिवृत)
2. श्री नरेश नारद, भा.प्र.से.(सेवानिवृत)
3. श्री आर.सी. अग्रवाल, भा.पु.से.(सेवानिवृत) डी.जी., आई.टी.बी.पी.
4. श्री ए.पी. भटनागर, भा.पु.से.(सेवानिवृत)
5. श्री एस.आर. मेहरा, भा.पु.से.(सेवानिवृत)
6. श्री जे.एस. जुनेजा, (सेवानिवृत) अध्यक्ष, एन.एस.आई.सी.
7. श्री रोहित एम. देसाई, (सेवानिवृत), ईडी, इंडियन ओवरसीज बैंक
8. श्री गौतम कांजीलाल, (सेवानिवृत), मुख्य महा प्रबंधक, एस.बी.आई.

5. मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की एक समिति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिश तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनंतिम दृष्टिकोण की पूर्ण रूप से जांच करेगी । समिति

में में विशेषज्ञ पैनल से लिए गए दो सदस्य होंगे तथा आयोग के सतर्कता आयुक्तों में से एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे । विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, समिति की बैठक से 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उचित सलाह देगा ।

6. विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल दो वर्षों की अवधि का होगा । शर्तें एवं निबंधन, अनुबंध में निर्दिष्ट अनुसार होंगे ।

7. समिति की बैठकें दिल्ली में होगी । समिति की बैठकों से संबंधित किए जाने वाले व्यय हेतु आवश्यक कोष सहित अपेक्षित साचिविक सेवाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग उपलब्ध कराएगा ।

ह0/-
(के.एस. रामसुब्बन)
सचिव

सेवा में

1. विशेषज्ञों की समिति के सदस्य
2. श्री शान्तनु कंसल, सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. श्री अश्वनी कुमार, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुबन्ध

विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति की शर्तें

1. **अवधि**

   कार्यकाल दो वर्षों की अवधि के लिए होगा

2. **मानदेय**

   सदस्यों को प्रति दिन 3000/- रू0 (केवल तीन हजार रू0) का मानदेय दिया जाएगा ।

3. **साचिविक सहायता**

   आयोग द्वारा साचिविक सहायता आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी ।

4. **किराया, परिवहन तथा आवास**

   सदस्यों की पात्रता के अनुसार आयोग द्वारा किराया, परिवहन तथा आवास दिया जाएगा ।